फा.सं. 12(10)/ई.कोऑर्ड/2016

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

लोक नायक भवन, नई दिल्ली

10 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय: लेखापरीक्षा आपत्तियों का निपटान - समिति का गठन।

इस मंत्रालय के ध्यान में यह लाया गया है कि मंत्रालयों/विभागों के पास बड़ी संख्या में निरीक्षण रिपोर्टें/लेखापरीक्षा पैरा लंबित हैं, जिनमें प्रथम उत्तर भी लेखापरीक्षा को नहीं भेजा गया है।

2. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक विनियम, 197 के अनुसार, निरीक्षण रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों के उत्तर, उनके प्राप्त होने से चार सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करने होते हैं। जहां कुछ टिप्पणियों के अंतिम उत्तर समय-सीमा में प्रस्तुत कर पाना संभव नहीं होता है, अंतिम उत्तर की संभावित तारीख देते हुए अंतरिम उत्तर दिया जाएगा। लेखापरीक्षा आपत्तियों का समय पर निपटान आवश्यक है क्योंकि इसमें उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने के साथ-साथ प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाना भी शामिल होता है।

3. तदनुसार, उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 1.1.1985 के का. ज्ञा. सं. 12(9)/ई-कोऑर्ड/84 का अधिक्रमण करते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग बकाया निरीक्षण रिपोर्टों और लेखापरीक्षा पैराओं का निपटान करने के लिए संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगा जिसमें अवर सचिव (प्रशासन), अवर सचिव (आईएफयू) तथा आहरण और संवितरण अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति, यदि आवश्यक हो, निरीक्षण रिपोर्ट/लेखापरीक्षा पैरा से संबंधित विभाग के एक सदस्य को सह-योजित कर सकती है। यह समिति लेखापरीक्षा आपत्तियों के निपटान के लिए आवश्यकतानुसार बार-बार बैठक करेगी।

4. मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि निरीक्षण रिपोर्टों/ लेखापरीक्षा पैराओं पर तुरन्त कार्रवाई हो ताकि उन्हें पूर्ण लेखापरीक्षा पैराओं में न बदला जाए।

5. इसे संयुक्त सचिव (कार्मिक) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

आर कुरील

(आर. के. कुरील)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

(i) सभी मंत्रालय/विभाग

(ii) सभी वित्त सलाहकार (नाम से)

प्रतिलिपि: नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।